

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/वि०चि०पदा०-173/2024- /स्वा०, पटना, दिनांक :

डा० अरुणि चित्रा सिन्हा, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग), सदर अस्पताल, बक्सर द्वारा प्रथम संतान के देखभाल हेतु दिनांक-15.02.2023 से 14.07.2023 तक कुल-150 (एक सौ पचास) दिनों का उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 एव वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक- 269(25), दिनांक-06.02.2025 द्वारा निर्गत शिशु देखभाल अवकाश आदेयता के आलोक में शिशु देखभाल अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है। उपभोगित अवकाश को घटाने के पश्चात् डा० अरुणि चित्रा सिन्हा के पक्ष में 580 (पाँच सौ अस्सी) दिन शिशु देखभाल अवकाश आदेय रह जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-2/वि०चि०पदा०-173/2024- 905(2) पटना, दिनांक 21/6/25
प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एव ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बक्सर/कोषागार पदाधिकारी, बक्सर/अधीक्षक, सदर अस्पताल, बक्सर/ डा० अरुणि चित्रा सिन्हा, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग), सदर अस्पताल, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।